संख्या: 68 /2026/566/तीस-1-2026

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 अगस्त, 2026

विषय: जनपद कुशीनगर की विधान सभा तमकुहीराज के सेवरही में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-528बी/डीए/पूर्व/26-84जेईटी/वि0/22-23, दिनांक 28.05.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कुशीनगर की विधान सभा तमकुहीराज के सेवरही में बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 दिनांक 19.01.2026 द्वारा आंकलित लागत ₹283.64 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में ₹100.00 लाख अवमुक्त की गयी है। उक्त निर्माण कार्य हेतु कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 28 मई, 2026 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर की विधान सभा तमकुहीराज के सेवरही में बस स्टेशन का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत धनराशि ₹283.64 लाख के सापेक्ष निविदा लागत की धनराशि ₹282.37 लाख (जी०एस०टी०, लेबर सेस, सेन्टेज चार्जेज, कन्टींजेन्सी तथा वाह्य विद्युत संयोजन सहित) आंकलित की गयी है। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 28.03.2026 में दी गयी व्यवस्थानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय किये जाने हेतु अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि ₹100.00 लाख को घटाते हुए द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप में अवशेष धनराशि ₹182.37 लाख (रूपये एक करोड़ बयासी लाख सैंतीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. परिवहन निगम द्वारा योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
5. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

6. प्रश्नगत निर्माण कार्य में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाएगा।
7. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाएगा।
9. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1 एवं 3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
10. निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियाँ, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किया जाए, जिसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा उ0 प्र0 परिवहन निगम को होगा।
11. प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/परिवहन निगम का होगा।
12. उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा।
13. उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है, को सुनिश्चित किये जाने के उपरांत व्यय की जाएगी।
14. परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित बस स्टेशन/डिपो पी0पी0पी0 मॉडल पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन/डिपो की सूची में सम्मिलित नहीं है।
15. परिवहन निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की निविदा लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त नहीं की जाये।
16. अन्य समस्त शर्तें पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 5/2026/1365/तीस-1-2025 दिनांक 19.01.2026 के अनुरूप यथावत रहेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-043 परिवहन विभाग के लेखा शीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी-0401-बस अड्डों के निर्माण हेतु-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के यू0ओ0 संख्या– E-9-82-X-2026-27- दिनांक: 20-8-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0/-
के0पी0 सिंह
विशेष सचिव।

संख्या: 68/2026/566(1)/तीस-1-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5 प्रबन्ध निदेशक, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, कांस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
10. उप सचिव, परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
11. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9।
12. परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
13. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

ह0/-

अरविन्द कुमार

अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in